संख्या-30/2024/001-391-23-12-2024-23-12-2-2023

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में भूमि अधिग्रहण के चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0 के पत्र सं0-8518/ सीई-एचक्यू-1/आईएनबी/इण्डो/2024-25, दिनांक 30.04.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत उल्लिखित जनपद पीलीभीत में बार्डर पिलर संख्या 17 ग्राम बंदरभोज से बॉर्डर पिलर संख्या 42 के शारदापुरी बाजार घाट तक 10.85 किमी0 लंबाई में आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 158 लाख (रू0 एक करोड अटठावन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार कतिपय शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	उ0प्र0 शासन का पत्रांक	संशोधित स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	प्रावैधिक स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्यों की लागत में बचत	गत वर्ष तक आवंटन	01.04.24 को अवशेष धनराशि (प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व में आवंटन	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मांग (+)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित आवंटन (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जनपद पीलीभीत में बार्डर पिलर संख्या 17 ग्राम बंदरभोज से बॉर्डर पिलर संख्या 42 के शारदापुरी बाजार घाट तक 10.85 किमी0 लंबाई में आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण का कार्य। (मार्ग का कोड 61386)	नि0ख0-2 (इण्डो नेपाल बार्डर) पीलीभीत	शा0 सं0-06/2022/844/23-12-2021-1263(भूमि)/2013 दि0 10.02.20 22 एवं शा0 सं0-1683/23-12-2013-1263(भूमि)/2013 दि0 22.11.2013	523.330	523.330	0.000	107.330	416.000	0.000	158.00	158.00
			योग	523.330	523.330	0.000	107.330	416.000	0.000	158.00	158.00

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि द्विरावृत्ति न हो।

(5) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) उक्त कार्यों के स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आवंटित की जा रही धनराशि का उपभोग शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त के अतिरिक्त धनराशि आहरित करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इससे लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो रहा हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 158 लाख (रू0 एक करोड अटठावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-058 लेखाशीर्षक-5054043370600 इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

<u>सं0-30/2024/001-391(1)-23-12-2024-23-12-2-2023 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. लोक निर्माण अनु0-10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
12. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।